उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-133/2017/906/92-2-2017-64(जांच)/2016
लखनऊ :: दिनांक:: 31 जुलाई, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा में वर्ष 2015-16 मे चयनित डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में सी0सी0 रोड व के0सी0 ड्रेन निर्माण हेतु 22 कार्यों की निविदा गठन की कार्यावाही में बरती गयी अनियमितता हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री एम0सी0 शर्मा, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु मुख्य अभियन्ता(पश्चिमी), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-133/2017/906(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-47/ग्रा0अ0वि0/डा0लो0सेल/मथुरा-85/2015-16, दिनांक 02.06.2017 की प्रति इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही में अरोप पत्र गठित कर शासन में तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2- जांच अधिकारी/ मुख्य अभियन्ता(पश्चिमी), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- श्री एम0सी0 शर्मा, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-मथुरा द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in